संख्या- 18 /2017/1122/62-1-2017-1104/2016टीसी-।।

प्रेषक,

राम किंकर मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0,
लखनऊ ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक- 19 सितम्बर,2017

विषय- वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-13 के अधीन नवीन योजना-राज्य भूजल संरक्षण मिशन की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-602जी/भू0ज0वि0/बी-1/डब्लू, दिनांक 18 अगस्त, 2017 वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-8/2017/ बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03-08-2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-13 के अधीन भूगर्भ जल के कार्यक्रम की आयोजनागत पक्ष में नवीन योजना यथा-"राज्य भूजल संरक्षण मिशन योजना" में प्राविधानित धनराशि रू0 366.50 लाख (रूपया तीन करोड छाछठ लाख पचास हजार मात्र) में से प्रथम किशत के रूप में रू0 183.25 लाख निम्न विवरण के अनुसार राज्यपाल महोदय आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

नवीन योजना-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

राजस्व पक्ष

(अ) "लेखाशीर्षक-2702-लघु सिंचाई-02-भूजल-005-अन्वेषण-12-राज्य भूजल संरक्षण मिशन।"

(धनराशि लाख रू0 में)

क्रं0 सं0	कोड	मानक मद	वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में बजट प्राविधान	वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु निदेशक, भूगर्भ जल विभाग के निवर्तन पर रखी जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5
1	08	कार्यालय-व्यय	30.00	15.00
2	11	लेखन सामग्री/फार्मों की छपाई	5.50	2.75
3	15	गाडियों का अनुरक्षण/पेट्रोल आदि की खरीद	15.00	7.50
4	16	व्यवसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	185.00	92.50
5	18	प्रकाशन	15.00	7.50
6	26	मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	18.00	9.00
7	42	अन्य व्यय	46.00	23.00
8	43	सामग्री एवं सम्पूर्ति	10.00	5.00
		योग	324.50	162.25

पूंजीगत पक्ष-

(ब) "लेखाशीर्षक-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-102- भूजल-17-राज्य भूजल संरक्षण मिशन।"

(धनराशि लाख रू0 में)

क्रं0 सं0	कोड	मानक मद	बजट प्राविधान 2017-18	वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु निदेशक, भूगर्भ जल विभाग के निवर्तन पर रखी जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5
1	24	वृहत निर्माण कार्य	42.00	21.00
		योग	42.00	21.00
		योग- अ*ब	366.50	183.25

(रूपया एक करोड तिरासी लाख पचीस हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि के वास्तविक आवश्यकतानुसार कोषागार से आहरण, व्यय प्रबन्धन में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03-08-2017 में विनिर्दिष्ट किये गये समस्त अनुदेशों एवं अन्य सुसंगत वित्तीय नियमों/ प्राविधानों/शासनादेशों का अनुपालन अवश्यमेव सुनिश्चित किया जाय ।

(2) उक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत भूगर्भ जल कार्यक्रम की चालू योजनाओं में अन्य व्यय (अधिष्ठान) की मदों में व्यय हेतु है 1 अवमुक्त धनराशि को किसी ऐसे मद पर कदापि व्यय न किया जाय, जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल एवं शासन के अस्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासन या सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, ऐसा व्यय शासन या सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति व सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जाय तथा व्यय अवमुक्त धनराशि तक सीमित रखा जाय । व्यय में की गयी किसी भी अनियमितता के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

(3) अतिरिक्त धनराशि की प्राप्ति की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा व्यय हेतु समय-समय पर शासन द्वारा मितव्ययिता सम्बन्धी निर्गत आदेशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

(4) यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाय कि आहरित धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही, सम्पूर्ण, मुख्य, लघु, उप एवं विस्तृत लेखाशीर्षक अवश्य अंकित किया जाय अन्यथा महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी । अवमुक्त धनराशि को यथाशीघ्र खण्डीय अधिकारियों को आवंटित करते हुए शासन को अवगत कराया जाय।

(5) विभिन्न लेखानुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आंवटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियन्त्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून,1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(6) स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय अनुमोदित कार्य योजना एवं मदों में योजना हेतु निर्धारित गाइड-लाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए ही किया जायेगा।

(7) मशीनें आदि के सम्बन्ध में स्वीकृत की जा रही धनराशि संगत शासनादेशों में निर्धारित प्रक्रिया/व्यवस्था अनुसार की जायेगी।

(8) योजनान्तर्गत वस्तुओं/सामग्रियों आदि का क्रय उ0प्र0 भण्डार क्रय नियमावली तथा वित्त विभाग/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेंट मैनुअल (प्रोक्योरमेंट आफ गुडस) 2016 एवं शासन द्वारा निर्धारित विभागीय क्रय नीति का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(9) वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता सम्बन्धी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(10) वृहद निर्माण कार्य नियमानुसार कार्यदायी संस्था का चयन कर कराये जाय।

(11) कार्यक्रम के क्रियान्वयन में आवश्यकतानुसार ई-टेण्डरिंग के प्रावधानों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(12) तत्सम्बन्धी व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-13 के अधीन "राज्य भूजल संरक्षण मिशन योजना" में सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा ।

2- यह आदेश वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-यू0ओ0-ई-2-615/दस-2017, दिनांक 18-09-2017 में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राम किंकर मिश्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संयुक्त सचिव ।

संख्या-18/2017/1122 (1)/62-1-2017, तदद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद ।

(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद ।

(3) नियोजन अनुभाग-3, उ0प्र0शासन।

(4) वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-2 उ0प्र0शासन ।

(5) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 उ0प्र0शासन ।

(6) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।

(7) निदेशक, सूचना, उ0प्र0 ।

(8) एन0आई0सी0 की प्रति

(9) गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(संजय शुक्ला)
अनु सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।